HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7964/2026
CNR: RJHC010580292026
URN: CRLMB / 17378U / 2026

Ramswaroop Tharol S/o Shri Ramniwas, Aged About 27 Years, R/o Tharola Ki Dhani, That, Tehsilriyan Badi, District- Nagaur Raj. (Lodged In Sub Jail Parbatsar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R.k. Acharya Mr. R.S. Rathore
For Respondent(s)	:	Ms. Sonu Manawat, PP Mr. Sitaram Beniwal

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

09/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना पादूकलां, जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 115/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 316(2), 336(2), 336(3), 338, 340(2) व 61(2)(ए) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त व मुस्तगीस आपस में चाचा–भतीजा है एवं चाचा द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को वाहन चलाने के लिए दिया हुआ होना बताया है और प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेज के द्वारा वाहन आगे बेचान करने का आरोप इस मामले में लगाया है। वाहन की जब्ती पुलिस द्वारा कर दी गई है। जो मुस्तगीस नियमानुसार न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त कर सकता है। साथ ही यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष जो आधार प्रार्थी–अभियुक्त के परिवार वालों द्वारा राजीनामे के लिए धमकाने व मारपीट करने का लगाया है, वह जमानत ना हो सके इसलिए झूठा आरोप लगाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त या उसके घरवालों द्वारा परिवादी पर वाहन सुपुर्दगी लेने के लिए जाते समय कोई हमला नहीं किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2026 के पैरा संख्या 4 में वर्णित घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय

से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इस मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया। इस मामले में वाहन की जब्ती हो चुकी है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **रामस्वरूप थारोल पुत्र श्री रामनिवास** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

24/Mayank Rankawat/629